

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया तहसील फुलियाकलां
प्रकरण संख्या - 35/2021
पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

- 1 रामलाल पिता गोकुल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
उनवान
बनाम
1 कैलाश पिता हरि कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
2 लादू पिता लक्ष्मीनारायण वैष्णव उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
3 रामस्वरूप पिता गोकुल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
4 छीतर पिता रामेश्वर कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
5 श्रवण पिता देवीलाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
6 देवी पिता कामड बैरवा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
7 गोपाल पिता हजारी खटीक उम्र वयस्क निवासी खेडा राजपुरा, सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

उपस्थित-

प्रार्थीगण अधिवक्ता- श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगद्दी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 26.10.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 10.03.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकलां में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 744 के आ.न. 3967/4193, 3970, 5185/842, 5186/847 किता 4 रकबा 1.90 हैक्टर, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगद्दी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को दख्त जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं आये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया दिनांक 26.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया भू.अ. नि. धनोप तहसील फुलियाकलां में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 744 के आ.न. 3967/4193, 3970, 5185/842, 5186/847 किता 4 रकबा 1.90 हैक्टर, भूमि की पत्थरगद्दी बसामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगद्दी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगद्दी हेतु लिखित सूचना पत्र से राग्य एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर रथगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगद्दी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगद्दी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगद्दी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश के पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल से कम हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फौसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा.भू.राजस्व उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
भीलवाड़ा